

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 26TH ~~NOVEMBER~~ ^{DECEMBER}, 1990

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the ^{26th} ~~27th~~, 1990

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to ~~amend~~ ^{amend} the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (*Sixteenth* Amendment), Rules, 1990.
2. In the Income-tax Rules, 1962,--
 - (a) in rule 17C, in clause (i), the existing proviso shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 29th day of March, 1990;
 - (ii) in rule 85, after the words "or in a current account", the words "or in a savings account" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1991;
 - (iii) in rule 101, after the words "or in a current account", the words "or in a savings account" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1990.

Arbind Modi
(ARBIND MODI)
Secretary, Central Board of Direct Taxes

No. 8725

F.No.142/31/88-TPL

भारत के राजपत्र, अध्यापन, भाग 2, खंड 3, उपखंड 1111
तारीख -----में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
.....

नई दिल्ली, तारीख 26.12.90

अधिसूचना
आय-कर

का 0370 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961

1961 का 43 की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाता है, अर्थात् :-

1. 111 इन नियमों का संशोधित नाम आय-कर अधिनियम, 1990 है ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

111 नियम 17 के खंड 111 में, "वर्तमान परन्तु" का लोप किया
जाएगा और 29 मार्च, 1990 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

111 नियम 85 में, "या किसी अनुसूचित बैंक के पास चालू खाते
में शब्दों के पश्चात्, "या किसी बचत खाते में" शब्द । अप्रैल,
1991 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

111 नियम 101 में, "या किसी अनुसूचित बैंक के पास चालू खाते
में शब्दों के पश्चात् "या किसी बचत खाते में" शब्द । अप्रैल, 1990
से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अरविन्द मोदी
अरविन्द मोदी ।

तत्त्व, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नं० 8795

फा० नं० 142/31/88-टीपीएल